

००००००००००००० ००००

जनसत्ता 31 मई, 2014 : लोकसभा चुनाव में तीस बरस बाद किसी एक पार्टी के स्पष्ट बहुमत मिला, अच्छी बात है। केंद्र में पहली बार अपने बूते एक गैर-कंग्रेसी दल ने सरकार बनाने का दम दिखाया है, और भी अच्छी बात है। यहां हम 1977 के चुनाव की विजिता जनता पार्टी को नहीं गनि रहे, क्योंकि वह एक दल नहीं, अनेक पार्टियों के वलिय से बना गठबंधन था। लेकिन ताजा चुनाव के जश्न में डूबी जनता के नमिन तथ्यों पर भी गौर करना चाहिए। आज से पहले स्पष्ट बहुमत पाने वाली पार्टी के कभी भी चालीस फीसद से कम वोट नहीं पड़े। इस बार महज इक्कीस प्रतिशत वोट पाकर भारतीय जनता पार्टी ने दो सौ बयासी सीटें जीत ली हैं।

सोलहवीं लोकसभा में दागी और करोड़ पति सांसदों की संख्या में खासी वृद्धि हुई है। देश की सबसे बड़ी पंचायत में स्थान पाने वाले जनप्रतिनिधियों में बयासी प्रतिशत करोड़ पति और चौतीस फीसद दागी हैं। ये आंकड़े चौकते हैं। बताते हैं कि हमारी संसद का चेहरा कैसा है। अब से दस बरस पहले लोकसभा में तीस फीसद सांसद करोड़ पति और चौबीस प्रतिशत आपराधिक मामलों के आरोपी थे। मतलब यह कि दस साल में करोड़ पति सांसदों की संख्या में बावन प्रतिशत और दागियों की जमात में दस फीसद का इजाफा हो गया है। संवेत्त खतरनाक है।

मोदी सरकार के तीस फीसद मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज हैं और इक्यानबे प्रतिशत करोड़ पति हैं। सार्वजनिक जीवन में शुचिता की समर्थक बरिदारी के ये आंकड़े निराश करते हैं। सोसाइटीशन ऑफ डेमोक्रेटिक रफिर्म्स (डीआर) ने नई सरकार के छियालीस में से चौवालीस मंत्रियों के हलफनामे का जायजा लेने के बाद उक्त जानकारी सार्वजनिक की। प्रकाश जावडेकर और नरिमला सीतारमण संसद के किसी सदन के सदस्य नहीं हैं, इस कारण उनके बारे में पलिहाल कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

डीआर के अनुसार, चौवालीस में से आठ मंत्रियों (अठारह प्रतिशत) के वरिद्ध हत्या के प्रयास, सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने, अपहरण और चुनाव नथियों के उल्लंघन जैसे गंभीर आरोप हैं। मोदी की मंत्रिपरिषद के सदस्यों की औसत संपत्ति 13.47 करोड़ रुप है। सबसे ज्यादा दौलत वित्तमंतरी अरुण जेटली (कसौ तेरह करोड़ रुप) के पास है, जबकि सबसे कम, जनजाति मामलों के मंत्री मनसुख भाई धनजीभाई वसावा (पैसठ लाख रुप) के पास।

संसद के देश की जनता का प्रतिबिंबि माना जाता है। जब राष्ट्र की लगभग एक चौथाई आबादी कंगाल (गरीबी रेखा के नीचे) हो और तीन चौथाई से ज्यादा लोग दो जून की रोटी के लिए खटते हों, तब सांसदों की औसत संपत्ति करोड़ों में होने के क्या माना जाय? यह बात दावे से कही जा सकती है कि भारत की कतहिाई जनता के खिलाफ पुलिस थानों में मामले दर्ज नहीं हैं। फिर क्या कारण है कि इस बार चुनाव जीतने वाले कतहिाई से ज्यादा सांसद दागी हैं? विजयी सांसदों में से अनेक के खिलाफ तो हत्या, डकैती, अपहरण जैसे गंभीर आरोप हैं।

आम चुनाव में धनबल और बाहुबल के बंधे प्रभाव के मापने के लिए कुछ और बातें बताना जरूरी हैं। इस बार चुनाव में प्रत्याशियों की संख्या में अप्रत्याशित पचास फीसद की वृद्धि हुई। 2009 में जहां 5435 उम्मीदवार खड़े हुए, वहीं 2014 में उनकी संख्या बढ़कर 8163 हो गई; इनमें से 2208 (सत्ताईस फीसद) करोड़ पति थे, जबकि जीतने वाले करोड़ पतियों की संख्या बयासी प्रतिशत है। इसी प्रकार कुल 1398 (सत्तर प्रतिशत) दागियों ने चुनावी दंगल में भाग्य आजमाया, लेकिन विजयी दागियों का आंकड़ा चौतीस फीसद रहा। इसका अर्थ यही हुआ कि धनबल और बाहुबल से चुनाव

जीतने की संभावना भी बनी जाती है

डीआर के अनुसार, चुनाव में साफ-सुथरी छवि के प्रत्याशियों के मुकबले दागियों की वजिय की संभावना दुगुनी होती है। इसी प्रकार धनपतियों की अपेक्षा मामूली हैसियत वाले उम्मीदवार के हारने का आंकड़ा काफी ऊंचा है।

टक्कट बांटते समय अब हर पार्टी अपने प्रत्याशी की जीत की संभावना को प्राथमिकता देती है। जीत के लिए जाति और धर्म के साथ-साथ धनबल और बाहुबल भी तोला जाता है, इसलिए ईमानदार और कर्मठ कार्यकर्ता अक्सर पार्टी टक्कट पाने की दौड़ में पछि जाते हैं। साफ-सुथरी राजनीति का दावा करने वाली देश की दोनों बड़ी पार्टियां भी दागियों और धनपतियों के मोह में बुरी तरह जकड़ी हैं। हालांकि चुनाव जीतने वाले भाजपा के कतहिाई से ज्यादा सांसद दागी है और उनमें से बीस फीसद के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। कांग्रेस के अठारह प्रतिशत वजियी प्रत्याशी दागी है और उनमें से सात फीसद के खिलाफ थानों में गंभीर अपराध से जुड़े मामले दर्ज हैं। क्षेत्रीय दलों की स्थिति तो और भी बुरी है।

राजग केशत-प्रतिशत सांसद दागी है, जबकि शिवसेना के अठारह में से पंद्रह और राकंपा के पांच में से चार सांसद दागी हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि के सांसद चुनने में उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र अव्वल हैं। लेकिन धनी जनप्रतिनिधि चुनने में इस बार आंध्र प्रदेश ने सबके पीछे छोड़ दिया है। वहां तेलुगू देशम, टीआरएस और वाइएसआर कांग्रेस जैसे क्षेत्रीय दलों से चुने गए सांसदों की औसत संपत्ति पचास करोड़ रुपए से अधिक है। संसद के नचिले सदन में आने वाली सांसदों की औसत संपत्ति सोलह करोड़ रुपए और भाजपा के टक्कट पर जीते दो सौ बयासी सांसदों की ग्यारह करोड़ रुपए है।

सबसे कम संपत्ति मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (औसत उन्चासी लाख रुपए) के सांसदों की है। यहां तक और दलिचस्प तथ्य बताना जरूरी है। अध्ययन से पता चलता है कि दुबारा चुनाव लड़ने वाले सांसदों की संपत्ति में पांच साल के भीतर 289 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है जो बड़ी-बड़ी कॉर्पोरेट घरानों को चौकती है। आज किसी धंधे में इतना मुनाफा नहीं देखता। हम यहां हलफनामे में घोषित संपत्ति का जर्क कर रहे हैं। यह बात खुला भेद है कि हमारे ज्यादातर जनप्रतिनिधि जितनी संपत्ति घोषित करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा अघोषित दौलत उनके पास है।

इस चुनाव की तक और वसिंगतक जर्क जरूरी है। परिणाम बताते हैं कि महज इक्तीस फीसद वोट के साथ भाजपा ने स्पष्ट बहुमत पा लिया है, जबकि 19.3 प्रतिशत वोट पाने के बावजूद कांग्रेस के केवल चौवालीस सीटें मल्लि है। इन आंकड़ों की गहराई में जाते तो पता चलता है कि भाजपा ने कतहिाई से कम जन-समर्थन के बावजूद लोकसभा की लगभग बावन फीसद सीटों पर कब्जा कर लिया, जबकि कुल वोटों का पांचवां हिस्सा पाने के बावजूद कांग्रेस के मात्र आठ फीसद सीटें मल्लि। मौजूदा चुनाव व्यवस्था में जिस प्रत्याशी के सबसे ज्यादा वोट मल्लिते हैं वह वजियी घोषित कर दिया जाता है। कई बार जब मैदान में अनेक उम्मीदवार होते हैं तब मात्र बीस फीसद मत पाने वाला उम्मीदवार जीत जाता है।

इस दोषपूर्ण व्यवस्था को समझने के लिए कुछ और उदाहरण देना जरूरी है। ताजा चुनाव में मायावती की पार्टी बसपा ने उत्तर प्रदेश में अच्छे-खासे बीस प्रतिशत वोट पाए, लेकिन उसका कभी सांसद नहीं चुना गया। दूसरी ओर, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने सात प्रतिशत वोट पाकर भी दो सीटें और अपना दल ने महज एक प्रतिशत वोट के साथ दो सीटें जीत लीं। भाजपा और कांग्रेस के बाद राष्ट्रीय स्तर पर बसपा 4.1 प्रतिशत वोट के साथ तीसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन मौजूदा लोकसभा में उसका कभी सांसद नहीं है।

ऐसी वचित्र स्थिति अन्य राज्यों में भी दोहराई गई है। तमलिनाडु में द्रमुक 23.6 फीसद वोट पाने के बावजूद कभी सीट नहीं पा सकी। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चे ने तीस प्रतिशत जन-समर्थन पाया, लेकिन उसके दो ही सांसद जीते। कांग्रेस ने मात्र 9.6 प्रतिशत वोट पाए, लेकिन उसके चार उम्मीदवार जीत गए, जबकि भाजपा 16.8 प्रतिशत वोट पाने के साथ दो सीटें जीती।

बिहार में लालू यादव की पार्टी राजद 20.1 प्रतिशत वोट पाने के बावजूद मात्र चार सीट जीत पाई, जबकि रामविलास पासवान की लोकजनशक्ति पार्टी के महज 6.4 प्रतिशत वोट मिले और उसके छह प्रत्याशी जीते। नीतीश कुमार की पार्टी जद (यू के) 15.8 फीसद वोट पाने के बावजूद केवल दो प्रत्याशी जिताने में कामयाब रही। दिल्ली की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। यहां अरविंद केजरीवाल की पार्टी के वोट तो तैतीस प्रतिशत मिले, लेकिन सीट कभी नहीं मिल पाई। 44.6 प्रतिशत वोट के साथ भाजपा ने सौ फीसद (सातों) सीटें जीत लीं।

उक्त तथ्यों से पता चलता है कि हमारे लोकतंत्र की बुनियाद कितनी कमजोर हो गई है। आज चुनावी राजनीति पर धनबल और बाहुबल हावी है। आम चुनाव में खर्च की अधिकतम सीमा सत्तर लाख रुपए है, जबकि बिल्कुल दलों के उम्मीदवार इससे पंद्रह से बीस गुना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। कहने के संवधान प्रत्येक नागरिक के चुनाव लड़ने का अधिकार देता है, लेकिन हकीकत में आम आदमी इस अधिकार के आजमाने की कल्पना भी नहीं कर सकता।

मौजूदा व्यवस्था में उसका कम वोट डालना भर रह गया है। चुनाव लड़ने का साहस कुछ दल और उनके असरदार नेता ही कर सकते हैं। अनुमान है कि इस चुनाव पर लगभग पचास हजार करोड़ रुपए पंके गए, जिसका अधिकतर हस्सि आंद्योगिक घरानों से मिला। बिना कॉर्पोरेट जगत के सहयोग के किसी पार्टी का चलना या चुनाव लड़ना अब लगभग असंभव हो गया है।

हमने चुनाव की जो प्रणाली अपनाई है वह सत्तारूढ़ पार्टी या बिल्कुल दलों के ही भाती है। हमारी व्यवस्था में जो प्रत्याशी सर्वाधिकमत पाता है वह जीत जाता है। वास्तव में यह प्रणाली ही समस्त चुनावी बीमारियों की जड़ है। इसके कारण धनबल और बाहुबल के बिल्कुल त्वा मिला है और अनेकबार अच्छे-खासे वोट पाने वाली पार्टियाँ कभी कभी उम्मीदवार संसद में नहीं पहुंच पाता है।

आज यूरोप के अधिकतर देशों में आनुपातिक चुनाव (प्रोपोरशनल रप्रिजेंटेशन) व्यवस्था लागू है। इस प्रणाली में जिस पार्टी के चुनाव में जितने प्रतिशत वोट मिलते हैं, उसके उतने ही प्रतिनिधि संसद में होते हैं। इसमें मतदान किसी प्रत्याशी के लिये नहीं, पार्टी के पक्ष में होता है। उदाहरण के लिये, चुनाव में अगर भाजपा के इक्कीस, कांग्रेस के उन्नीस, बसपा के चार और वाम मोर्चे के चार प्रतिशत वोट पड़े तो इसी अनुपात में उनके सांसद चुने जाएंगे।

इस व्यवस्था के अपनाने से गलाकट चुनावी स्पर्धा से मुक्ति मिल जाती है और धनबल और बाहुबल से जीतने वाले प्रत्याशियों पर अंकुश लग जाता है। साथ ही संसद में देश और समाज के हर तबके के उसकी संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व मिल जाता है। धर्म और जातिकी राजनीति करने वाले दल भी अंततः नरिर्थाक हो जाते हैं। आशा है सरकार और समस्त दल इस प्रणाली के अपनाने पर विचार करेंगे।

फेसबुकपेज को लाइक करने के लिये क्लिक करें- <https://www.facebook.com/Jansatta>

ट्विटर पेज पर फॉलो करने के लिये क्लिक करें- <https://twitter.com/Jansatta>